B7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी हरिराम आदित्य R.A.S.
अपील नं 5/10

लक्ष्मन कुमार पुत्र पूरन चन्द कौम (साध) ब्राह्मण
नि॰ ग्राम खिलौंद तहसील नगर जिला भरतपुर
--- अपीलांट

बनाम

1. रामजी लाल] पिसं॰ बनखण्डी उर्फ घमण्डी
2. जीया लाल
3. राम लाल]

4. लक्ष्मनदास पुत्र बनखण्डी उर्फ घमण्डी (मृतक)
4/1 विमला पत्नि लक्ष्मन] जाति साध ब्राह्मण नि॰ सिनेमा हाल
4/2 राकेश पुत्र लक्ष्मन] के पास गोविन्दगढ़ (अलवर)
5. मु॰ बसन्त पुत्री बन खण्डी उर्फ घमण्डी (मृतक)
5/1 धर्मचन्द पुत्र सुन्दर सुन्दर लाल (पुत्र बसन्त) जाति ब्राह्मण
नि॰ खण्डेवला तह- पहाड़ी (भरतपुर)
6. मु॰ गोधनी उर्फ मिसरी] पुत्रीगण बनखण्डी उर्फ घमण्डी
7. मु॰ विद्या] जाति (साध) ब्राह्मण नि॰ डेरूरी
तहसील नगर (मु॰ विद्या W/o प्रभु
जाति साद ब्राह्मण नि॰ न्यू कॉलोनी
इस्लामाबाद, प्रजापति स्कूल रोड-
पलवल (फरीदाबाद)

8. नायब तहसीलदार सीकरी
9. तहसीलदार तह॰ नगर --- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 LRAct

उपस्थित
1. श्री दीन दयाल गर्ग अधि॰ अपी॰
2. अनिल गोयल अधि॰ रेस्पो॰

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.02.23 10:13:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 24.4.2014

अपीलांट ने यह अपील खारिज ख़ारिज संख्या
583 दिनांक 5.5.10 निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत तेहरा से
व्यथित होकर मय प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम

— 2

B7
अधिकारी
(भरतपुर) राज॰

Scanned by CamScanner

B8

इस अपील की प्रस्तुत की है कि आ.ख.नं. 110/1.10, 111/0.94 वाके ग्राम किरतमपुर तहसील नगर पर शंकर पुत्र बन्नखण्डी उर्फ रामोड़ी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज था, जिसने अपने जीवन काल में अपीलार्थी के हक में दिनांक - 2-2-2006 को वसीयतनामा तहरीर कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराया जाकर कथन किया समस्त चल व अचल सम्पत्ती का मालिक व काबिज अपीलार्थी होगा। शंकर के जीवन काल से ही फरवरी 2006 से आज तक अपीलार्थी ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। शंकर की मृत्यु के बाद सरपंच ग्राम पंचायत सेस्की ने विधि विरुद्ध गैर कानूनी और राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रा०खा० नं. 583 दि० 5.5.10 को रेस्पो० 1 लगा० 7 के नाम मृतक शंकर के स्थान पर दर्ज कर दिया जो गैर कानूनी है व निरस्त किये जाने योग्य है। जैसे ही उक्त रा० खा० रेस्पो० के हक में होने की जानकारी हुई तो नकल प्राप्त करने की कार्यवाही गई तो पटवारी हल्का से एन.ए.पी. के तहत दिनांक 4-8-2010 को नकल प्राप्त कर तुरंत अपील प्रस्तुत की है। अंत में निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमाई जावे व रा० खा० नं. 583 दि० 5-5-10 ग्राम पंचायत सेस्की निरस्त कर वसीयतनामा के-आधार पर अपी० के हक में दर्ज का फैसला करते हुऐ उपतहसीलदार सीकरी को आदेशित फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि विवादित नामा. नं. 583 मृतक शंकर की विरासत का दर्ज किया गया है। मृतक शंकर ने अपीलार्थी लड़का के हक में दिनांक 2-2-2006 को अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत तहरीर कराकर, गवाहान के समक्ष नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया था। पटवारी द्वारा मृतक शंकर की विरासत का नामा० उसकी विधवाओं के नाम दर्ज किया जो सरपंच [illegible] के नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत ने मृतक के [illegible] उत्तराधिकार अधि० 1956 तस्दीक किया है [illegible] रा०खा० अपीलार्थी की धारा 38 के अनुसार [illegible] करना चाहिए था। ग्रामपंचायत के पक्ष में दर्ज कर तस्दीक करना हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956। द्वारा मृतक शंकर की विरासत

— 3

अधिकारी
(भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.02.23 10:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

की धारा 8 के अनुसार दर्ज किया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकरण में मृतक शंकर ने अपने जीवनकाल में ही अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत लिख दी थी, ऐसी स्थिति में उसका विरासतन नामा० हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 30 के प्रावधानांतर्गत दर्ज करना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। समर्थन में R.R.D 2007 पृष्ठ 375 प्रस्तुत की है।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि ग्राम पंचायत सेक्रेट्री द्वारा मृतक शंकर की विरासत का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 के अनुसार सही दर्ज किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है। वादी का दावा पेंडिंग है, हक अधिकार दावा में ही तय होंगे। वसीयत विधिक ग्राह्य से सही है या नहीं D.J. Court से will Probate करानी होगी। दावे के निर्णय होने तक इस कार्यवाही को रोका जावे। समर्थन में R.R.T. 2010(1) पृष्ठ 320, R.R.T. 2008(2) पृष्ठ 936, R.R.T. 2003(2) पृष्ठ 1047, R.R.D. 1992 पृष्ठ 360, R.R.D 1990 पृष्ठ 479, R.R.T. 2001(2) पृष्ठ 988, DNJ 2009(3) पृष्ठ 1237 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नामा. क्र 583 वाके ग्राम कासिमपुर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मय नामा० मृतक शंकर की विरासत का पटवारी द्वारा दिनांक 3.5.10 को उसकी तीन पत्नियों के नाम दर्ज कर ग्रा.अधि.नि० से जांच कराकर दि. 5.5.10 को ग्राम पंचायत के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया, तथा ग्राम [illegible] की बैठक में सर्व सम्मति [illegible] कोई ऑब्जेक्शन नहीं ही निर्णय पारित किया [illegible] है, तथा उसकी प्रथम पत्नी [illegible] देवी उसे 25 वर्ष पूर्व छोड़कर उसके भाई रामलाल के साथ बतौर पत्नी रह रही है तथा अन्य दोनों पत्नियों का कोई अता पता नहीं है

— 4

अधिकारी
(भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.02.23 10:43:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में उसके सगे भाई बहिनों को विधिक वारिसान मानते हुए नाम० रेस्पो० के नाम तस्दीक कर दिया गया। अपी० द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दि० 2-2-06 के अवलोकन से यह साबित है कि मृतक शंकर ने अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा अपीलान्ट के पक्ष में किया गया है, चूंकि मृतक शंकर द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत कर दी गई थी. ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 30 के अनुसार नामांतरकरण के लिए उत्तराधिकार वसीयत-धारक को प्राप्त हो जाते हैं। जहां तक will probate कराने का प्रश्न है - माननीय राज० उ० न्याया० पीठ जयपुर ने DNJ (Raj.) 2002 (1) पृष्ठ 83 पर प्रतिपादित किया है कि - "Probate of will - obtaining probate of will not - necessary in state of Rajasthan." इस प्रकार राजस्थान में वसीयत का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। नाम० सं० 583 के अवलोकन से यह भी साबित है कि नामान्तरकरण दर्ज करने से निर्णय करने तक सम्पूर्ण कार्यवाही मात्र तीन दिवस (3.5.10 से 5-5-10) में सम्पन्न की गई तथा वसीयतधारक को ग्राम पंचायत ने सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया, जो अवैधानिक है। उक्त समस्त विवेचन से अपील अपी० स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि - अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नाम० सं० 583 वाके ग्राम [illegible] निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार सीकरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयत दि० 2.2.06 की जांच कर नियमानुसार पुनः निस्तारण करें। मूल नाम० निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे, तथा दोनों पक्ष सुनवाई हेतु दि० [illegible] को न्याया० नायब तहसीलदार सीकरी में उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक [illegible].4.14 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिराम आडिल)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.02.23 10:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner